संख्या– 892/VI-I/2009–7(13)2007

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग

देहरादून दिनांक : 27 अक्टूबर, 2009

विषयः–राज्य स्थापना वर्षगांठ, 2009 तथा भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2009 के आयोजन हेतु धनावंटन एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1025/स0नि0उ0/दो–3/2009–10 दिनांक– 23–10–2009 के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या–480/VI-I/2009–2(28)/2008, दिनांक– 10–7–09 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक– 10–7–09 के द्वारा व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखी हुई धनराशि से राज्य स्थापना वर्षगांठ–2009 तथा भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2009 के आयोजन हेतु कमशः रू0 41,74,118.00 तथा रू0 6,37,500.00 मात्र अर्थात कुल रू0 48,11,618.00 (रू0 अड़तालीस लाख ग्यारह हजार छःसौ अट्ठारह मात्र) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उपरोक्त अंकित दोनों कार्यकमों हेतु कमशः रू0 15.00 लाख एवं रू0 4.78 लाख के अग्रिम आहरण की स्वीकृति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–4 के नियम 249 के अन्तर्गत प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने के पूर्व शासन/संबंधित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। मदवार व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, तथा वास्ततिक व्यय के आधार पर ही आहरण/व्यय किया जाय।

3– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा, तथा उक्त आयोजन में हुए वास्तविक व्यय के आधार पर अग्रिम का समायोजन एक

माह में सुनिश्चित किया जायेगा, साथ ही गत वर्ष की स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/समायोजन विषयक प्रमाण–पत्र भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4– धनराशि का आहरण बजट एवं परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

5– इस संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यो/प्रोजेक्ट की हार्ड व साफ्ट प्रतिया जैसा लागू है, में पांच प्रतियों में संस्कृति विभाग को अभिलेखों के रूप में उपलब्ध करायें।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03 सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–42 अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

7– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या–481(पी)/XXVII(3)/2009 दिनांक–26 अक्टूबर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 892 /VI-I/2009–7(13)/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
4. मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
8. नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. एन.आई.सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(श्याम सिंह)
अनुसचिव